# फर्द अहकाम

## कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री भैरूसिंह पिता श्री विजय सिंह सोडा निवासीः ग्रा.पं. उपडाकघर वाया केलवा तहसील एंव जिला राजसमंद

– अपीलार्थी

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ – प्रत्यर्थी

**किस्म मुकदमा** – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 79/2022**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | दिनांक 13.12.2022<br>पत्रावली पेश हुई। अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ द्वारा जरिये पत्रांकः /सू.का अधि.05/2022/3166 दिनांक 27.11.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ द्वारा अपीलार्थी को पत्रांकः सू.अ.05/2022/2931 दिनांक 29.09.2022 को भिजवाई जा चुकी है। जिसमें उल्लेख किया कि निःशुल्क चाही गयी प्रतिलिपि कोर्ट की विचाराधीन पत्रावली संख्या 25/2016 प्रा.पत्र की है सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत न्यायालय प्रकरण की निःशुल्क प्रतिलिपि देने का नियमों में कोई प्रावधान नही है । न्यायालय प्रकरण की नियमानुसार न्यायालय में प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र पेश कर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है।<br>लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन पर लो.सू.अ. द्वारा निर्णय लिया जाकर नियमानुसार प्रार्थी को सूचना दी जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना न्यायालय की जैरकार पत्रावलियों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने से संबंधित है। न्यायिक प्रक्रिया में एक सुंस्थापित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिलिपि प्राप्त करने का प्रावधान है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण दो पक्षकारों के मध्य विचाराधीन होते है यदि अपीलार्थी उक्त प्रकरण में पक्षकार है तो कोर्ट मेन्यूल एक्ट के तहत आवेदन कर नियमानुसार प्रकरण से संबंधित प्रतिलिपियाँ प्राप्त कर सकता है। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ को भिजवायी जावे।<br>**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**<br><br>लोक सूचना अपीलीय अधिकारी<br>(जिला कलक्टर) राजसमंद | न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.) |

फर्द अहकाम